संचालनालय चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश
——

स्वषासी चिकित्सा महाविघालय, सागर में एम0बी0बी0एस0 कोर्स में वर्ष 2009—10 में प्रवेष के संबंध में सूचना

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा याचिका क्रमांक डब्ल्यू0पी0 (सिविल) 451/09 में पारित निर्णय दिनांक **09.10.2009** के परिपेक्ष्य में स्वशासी चिकित्सा महाविघालय, सागर में 100 सीटों पर एमबीबीएस कोर्स में प्रवेष की अनुमति प्रदान की गई है । उक्त निर्देष के परिपालन में संचालनालय चिकित्सा षिक्षा द्वारा दिनॉक 13, 14, एवं 15/10/2009 को गॉधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल में प्रवेष हेतु स्कूटनी एवं आवंटन की कार्यवाही प्रातः 10.00 बजे से की जाएगी ।

उक्त प्रक्रिया व्यावसायिक परीक्षा मण्डल,भोपाल द्वारा घोषित पीएमटी 2009 की मैरिट सूची के अनुसार किया जाएगा । इस आवंटन प्रक्रिया में केवल वे ही उम्मीदवार पात्र होंगें, जिनके द्वारा पूर्व काउंसलिंग में स्वषासी चिकित्सा महाविद्यालय/दंत चिकित्सा महाविघालय, इंदौर में आवंटन नहीं करवाया गया हो । स्वशासी चिकित्सा महाविघालय, सागर हेतु सीटों का विवरण निम्नानुसार प्रस्तावित है :—

SCHEDULE TRIBE				SCHEDULE CAST				OBC				UNRESERVED			
Open	MP	FF	PH	Open	MP	FF	PH	Open	MP	FF	PH	Open	MP	FF	PH
17	01	01	01	16	--	--	--	14	--	--	--	44	02	02	02

आवंटन का कार्यक्रम प्रतिदिन प्रातः 10.00 बजे से

दिनांक	कार्यक्रम	उम्मीदवारों की श्रेणी/संवर्ग का नाम जिन्हें उपस्थित होना है ।	वे उम्मीदवार जिन्हें काउंसिलिंग में उपस्थित होना है ।
13.10.09	स्कूटनी	अनुसूचित जनजाति एम.पी. (सैनिक)	समस्त पात्र उम्मीदवार
		अनुसूचित जनजाति एफ0एफ0 (स्वतंत्रता सेनानी)	समस्त पात्र उम्मीदवार
		अनुसूचित जनजाति पी0एच0 (विकलांग)	समस्त पात्र उम्मीदवार
		अनूसूचित जनजाति (ओपन)	— समस्त आप्ट फॉर वेंटिग,अनुपस्थित तथा अभिलेख अपूर्ण होने के कारण अपात्र घोषित उम्मीदवार उचित अभिलेखों के साथ भाग ले सकते है एवं मेरिट क 201 से 300 तक समस्त पात्र उम्मीदवार ।
13.10.09	स्कूटनी	अनूसूचित जाति (ओपन)	— आप्ट फॉर वेंटिग,अनुपस्थित

			तथा अभिलेख अपूर्ण होने के कारण अपात्र घोषित उम्मीदवार उचित अभिलेखों के साथ भाग ले सकते है एवं मेरिट क्र 201 से 300 तक समस्त पात्र उम्मीदवार
13.10.09		अन्य पिछड़ा वर्ग (ओपन)	– आप्ट फॉर वेंटिग,अनुपस्थित तथा अभिलेख अपूर्ण होने के कारण अपात्र घोषित उम्मीदवार उचित अभिलेखों के साथ भाग ले सकते है एवं मेरिट क्र 176 से 300 तक समस्त पात्र उम्मीदवार
14.10.09	आवंटन	अनुसूचित जनजाति एम.पी. (सैनिक)	समस्त पात्र उम्मीदवार
		अनुसूचित जनजातिएफ0एफ0 (स्वतंत्रता सेनानी)	समस्त पात्र उम्मीदवार
		अनुसूचित जनजाति पी0एच0 (विकलांग)	समस्त पात्र उम्मीदवार
		अनूसूचित जनजाति (ओपन)	– समस्त आप्ट फॉर वेंटिग,अनुपस्थित तथा अभिलेख अपूर्ण होने के कारण अपात्र घोषित उम्मीदवार उचित अभिलेखों के साथ भाग ले सकते है एवं मेरिट क्र 201 से 300 तक समस्त पात्र उम्मीदवार
		अनूसूचित जाति (ओपन)	– समस्त आप्ट फॉर वेंटिग,अनुपस्थित तथा अभिलेख अपूर्ण होने के कारण अपात्र घोषित उम्मीदवार उचित अभिलेखों के साथ भाग ले सकते है एवं मेरिट क्र 201 से 300 तक समस्त पात्र उम्मीदवार
		अन्य पिछड़ा वर्ग (ओपन)	– समस्त आप्ट फॉर वेंटिग,अनुपस्थित तथा अभिलेख अपूर्ण होने के कारण अपात्र घोषित उम्मीदवार उचित अभिलेखों के साथ भाग ले सकते है एवं मेरिट क्र 176 से 300 तक समस्त पात्र उम्मीदवार ।

14.10.09	स्क्रूटनी	अनारक्षित, एम0पी0 (सैनिक) अनारक्षित, एफ0एफ0 (स्वतंत्रता सेनानी) अनारक्षित पी0एच0 (विकलांग) अनारक्षित (ओपन)	समस्त पात्र उम्मीदवार समस्त पात्र उम्मीदवार समस्त पात्र उम्मीदवार – समस्त आप्ट फॉर वेंटिग,अनुपस्थित तथा अभिलेख अपूर्ण होने के कारण अपात्र घोषित उम्मीदवार उचित अभिलेखों के साथ भाग ले सकते है एवं मेरिट क्र 601 से 800 तक समस्त पात्र उम्मीदवार
15.10.09	आवंटन	अनारक्षित एम0पी0 (सैनिक) अनारक्षित एफ0एफ0 (स्वतंत्रता सेनानी) अनारक्षित पी0एच0 (विकलांग) अनारक्षित (ओपन)	समस्त पात्र उम्मीदवार समस्त पात्र उम्मीदवार समस्त पात्र उम्मीदवार – समस्त आप्ट फॉर वेंटिग,अनुपस्थित तथा अभिलेख अपूर्ण होने के कारण अपात्र घोषित उम्मीदवार उचित अभिलेखों के साथ भाग ले सकते है एवं मेरिट क्र 601 से 800 तक समस्त पात्र उम्मीदवार

काउंसिलिंग के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी /निर्देषः–

जिन उम्मीदवारों द्वारा पूर्व में स्वषासी चिकित्सा महाविघालय एवं दंत चिकित्सा महाविघालय इंदौर में आवंटन प्राप्त किया गया है, वे इस आवंटन प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते ।

पीएमटी प्रवेश परीक्षा में चयनित अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवार को काउंसिलिंग मे उपस्थित होने पर जिनका आवंटन चिकित्सा महाविघालय, सागर में प्राप्त होता है ऐसे उम्मीदवार सुरक्षा निधि के रूप में रूपये 10,000/– (रूपये दस हजार मात्र) तथा आरक्षित श्रेणी के वे उम्मीदवार, जिनके माता–पिता/संरक्षक की आय रूपये 1.80 लाख से अधिक है, वे रूपये 2,000/– (रूपये दो हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट पी0एम0टी0 नियम–2009 के नियम 7.1 एवं 7.1.2 के अनुसार ''संचालक चिकित्सा शिक्षा, म0प्र0 भोपाल'' के पक्ष में देय हो, आवंटन पश्चात् जमा करना होगा । तदनुपरांत ही उम्मीदवार को आवंटन पत्र प्रदान किया जावेगा ।

पीएमटी प्रवेश परीक्षा 2009 के बिन्दु क्र. 9.5 के अनुसार सभी मूल अभिलेख तथा इन अभिलेखों की अभिप्रमाणित छायाप्रतियों के दो सैट के बगैर काउंसिलिंग में भाग लेने की पात्रता नहीं होगी ।

किसी भी श्रेणी में सीटें समाप्त अथवा उम्मीदवार शेष न रहने पर उस श्रेणी की काउंसिलिंग वहीं समाप्त घोषित कर दी जायेगी ।

1– यदि उल्लेखित काउंसिलिंग कार्यक्रम में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है तो इसकी सूचना काउंसिलिंग स्थल पर ही चस्पा की जावेगी ।

2– एक उम्मीदवार के साथ केवल एक ही व्यक्ति को काउंसिलिंग स्थल पर प्रवेश की अनुमति दी जावेगी ।

3– भारतीय चिकित्सा परिषद के दिशा निर्देश अनुसार दृष्टि एवं बधिर अथवा भुजाएं (Upper Limb)के विकलांग उम्मीदवार एमबीबीएस के लिये अपात्र होंगें ।

उक्त आयोजित की जा रही आवंटन प्रकिया के संबंध में उम्मीदवारों को पृथक से काल लेटर नहीं भेजे जा रहे हैं । इस विज्ञापन के अनुसार ही उम्मीदवारों को उपस्थित होना है । यदि उम्मीदवार इस सूचना से वंचित रह जाते है तो यह उनके स्वयं की जिम्मेदारी रहेगी । विभाग द्वारा इस संबंध में कोई कार्यवाही मान्य नहीं की जावेगी ।

नोटः– आवंटन प्रकिया के उक्त प्रोग्राम की जानकारी संचालनालय की बेवसाईट www.mp.nic.in.medicaleducation पर भी उपलब्ध है ।

संचालक चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश